सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 29, शुक्रवार, *शाके 1946*- दिसम्बर 20, *2024*	
Agrahayana 29, Friday, Saka 1946- December 20, 2024	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 19, 2024

जी.एस.आर.85 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 9 का संशोधन.- राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 9 के परंतुक का विद्यमान खण्ड (xiii) हटाया जायेगा।

3. नियम 16 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 16 का विद्यमान दूसरा परंतुक हटाया जायेगा।

4. नियम 17 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 17 का विद्यमान परंतुक हटाया जायेगा।

5. नियम 18 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 18 का विद्यमान परंतुक हटाया जायेगा।

6. नियम 19 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 19 के उप-नियम (1) में,-

(i) अंत में आये विद्यमान विराम चिन्ह् " : " के स्थान पर विराम चिन्ह् "। " प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) विद्यमान परंतुक हटाया जायेगा।

7. नियम 20 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 20 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग की सिफारिश" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान दूसरा परंतुक हटाया जायेगा।

[संख्या एफ. 1(13)डीओपी/ए-II/90]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
दिनेश कुमार शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, December 19, 2024

G.S.R.85 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homeopathy and Naturopathy Service Rules 1973, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homeopathy and Naturopathy Service (Amendment) Rules 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 9.-The existing clause (xiii) of proviso to rule 9 of the Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homeopathy and Naturopathy Service Rules, 1973, hereinafter referred to as the said rules shall be deleted.

3. Amendment of rule 16.-The existing second proviso to rule 16 of the said rules shall be deleted.

4. Amendment of rule 17.- The existing proviso to rule 17 of the said rules shall be deleted.

5. Amendment of rule 18.- The existing proviso to rule 18 of the said rules shall be deleted.

6. Amendment of rule 19.- In sub-rule (1) of rule 19 of the said rules,-

(i) for the existing punctuation mark " : ", appearing at the end, the punctuation mark " . " shall be substituted; and

(ii) the existing proviso shall be deleted.

7. Amendment of rule 20.- In rule 20 of the said rules .-

(i) for the existing expression "Recommendation of the Commission or the Appointing Authority", the expression "Recommendation of the Commission" shall be substituted; and

(ii) the existing second proviso shall be deleted.

[No. F.1(13)DOP/A-II/90]

By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.